20 Rs. COURT FEE 20 रु.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

R-234-I/14

प्रक /2013 निगरानी

हजारीलाल पिता स्व. श्री कन्हैयालालजी खाती,
निवासी ग्राम नापाखेड़ी तह. व जिला देवास
——————— निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. श्रीमती रानीबाई पिता ~~स्व. पन्नालालजी~~ खाती,
निवासी ग्राम नापाखेड़ी तह. व जिला देवास।
हालमुकाम द्वारा जगन्नाथ पिता सीताराम खाती,
खडवाले मोहल्ला डकाच्या तह. सांवेर जि. इन्दौर।
2. श्रीमती रामप्यारीबाई पति पन्नालाल खाती,
निवासी हापाखेड़ा तह. व जि. देवास।
3. श्रीमती कमलाबाई पति रामकिशन खाती,
निवासी ग्राम डकाच्या तह. सांवरे जि. इन्दौर।
4. श्रीमती सरजूबाई पति शिवजीराम खाती,
निवासी राघोगढ़ तह. व जि. देवास।
5. श्रीमती पार्वतीबाई पति मांगीलाल खाती,
निवासी कैलोद तह. व जि.देवास
-रिस्पांडेंटगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य

यह कि, उभयपक्षों के बीच एक व्यवहारवाद क्र. 20ए/2007 साम्पत्तिक वाद में आदेश 20 नियम 18 सहपठित धारा 54 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रारंभिक डिक्री दिनांक 20/12/2007 को पारित की गई।

यह कि, उक्त प्रारंभिक डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील चतुर्थ अपर जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई तथा उसमें पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील इस वक्त प्रकरण क्र. 214/2008 पर कायम होकर के विचाराधीन हैं।

यह कि, इस प्रकार से व्यवहार न्यायालय का आदेश तारीखी 20/12/2007 के संबंध में अन्तिम डिक्री (अंतिम निर्णय) पारित नहीं हुई हैं।

यह कि, रिस्पांडेंट क्र. 1 ने प्रारंभिक डिक्री के आदेश तारीखी 20/12/2007 के अनुसार अपर तहसीलदार टप्पा बरोठा के समक्ष एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 178 का सीधा प्रस्तुत किया। जिस पर से प्रकरण क्र. 10अ27/10–11 कायम हुआ और बिना किसी वैधानिक स्थिति को समझे बिना कि, अभी अंतिम डिक्री नहीं हुई हैं, विवादित आदेश तारीखी 07/03/2012 पारित किया। जिसके विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जो प्रकरण क्र. 37 अपील/2011–2012 पर कायम होकर के अपीलांट की अपील आदेश तारीखी 16/07/2012 के द्वारा निरस्त हुई हैं। जिससे असंतुष्ट होकर के माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष अपिल प्रस्तुत कि जो प्रकरण क. 57/2011–12 पर कायम हुई उसमे विवादित आदेश ता. 22–10–13 को पारित हुआ जिससे अस्तुंष्ट हो कर के यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैं।

R 234-I/14 [illegible]

29/8/18

आवेदक अधि. श्री एन. एन. सिसोदिया एवं अनावेदक क्रं. 1 की ओर से अधि. श्री विष्णु दीक्षित उपस्थित. आवेदक अधि. ने हिदायत पैरवी न होना दर्शाया गया। उपस्थित अना. अधि. ने उपरोक्त स्थिति में प्रकरण समाप्त किये जाने का अनुरोध किया. विचारोपरान्त यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

अभिलेख वापिस हो।

प्रशा. सदस्य

(Vishnu Dixit) Ad.